यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी चम्पावत** के माह जून 2013 से सितम्बर 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुन्न राम, ले.प., एवं श्री अजय सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.10.2017 से 30.10.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.के. डंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 17.06.2013 से 21.06.2013 तक श्री प्रेम चन्द्र, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2016 से 05/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह जून 2013 से सितम्बर 2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों की भर्ती, सुढ़डीकरण, युवा महोत्सव का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित खेल विधा प्रतियोगिता, विकास खण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवक/महिला मंगल का गठन, पंजीकरण एवं मार्गदर्शन, सर्वश्रेष्ठ युवक/महिला मंगल दलों का विवेकानंद यूथ एवार्ड के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाना, खेल मैदान का विकास एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न में कार्य निस्पादन हेतु ड्यूटी लगायी जाती है।कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त चम्पावत जनपद है।

   इकाई का बजट आवंटन- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है।

   (ii) (अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14	-	-	51.69	50.34	55.80	55.80	-	1.35
2014-15	-	-	44.79	44.79	104.81	102.54	-	2.27
2015-16	-	-	45.37	42.50	121.28	116.58	-	7.57
2016-17	-	-	50.68	47.38	115.25	113.17	-	5.38
2017-18 (सितम्बर 17 तक)	-	2.08	42.06	22.80	77.20	57.20	-	41.14

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष ` **	**प्राप्त ` **	**व्यय अधिक्य (+) ` **	**बचत (-) ` **
2013-14	पायका खेल मैदान	58.50	-	58.50	-
	वार्षिक प्रचालानात्मक अनुदान	--	14.36	-	14.36
	पायका खेलकूद	0.13	4.25	4.28	0.10
	पायका महिला खेलकूद	0.30	0.50	0.50	0.03
2014-15	पायका खेल मैदान	--	6.50	6.50	-
	वार्षिक प्रचालानात्मक अनुदान	14.36	0.13	0.29	14.20
	आर.जी.के.ए. 16 वर्षीय खेलकूद	-	1.28	4.28	-
	आर.जी.के.ए. महिला खेलकूद	-	0.84	0.60	0.24
2015-16	आर.जी.के.ए. 16 वर्षीय खेलकूद	-	4.00	4.00	-
	आर.जी.के.ए. महिला खेलकूद	-	0.70	0.70	-
	वार्षिक प्रचालानात्मक अनुदान	-	-	0.21	13.99
2016-17	खेलों इण्डिया खेलकूद प्रतियोगिता	-	2.49	2.49	-
	आर.जी.के.ए. खेलकूद (2015-16)	-	0.04	-	0.04
	नगद पुरूस्कार 2014-15	-	3.04	0.46	2.58
2017-18 (सितम्बर 17 तक)	नगद पुरूस्कार 2015-16	2.58	1.91	-	4.49
	वार्षिक प्रचालानात्मक अनुदान	13.99	-	-	13.99

नोट- वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं में प्राप्त आवंटन के सापेक्ष मुबालिक रू. 13.99 लाख की धनराशि जो वार्षिक प्रचालानात्मक अनुदान की शेष है, जो निदेशक युवा कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून के खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, 2.अपर सचिव 3.निदेशक 4. वित्त नियंत्रक 5. संयुक्त निदेशक 6. उप निदेशक 7. सहायक निदेशक 8. सहायक समादेष्टा 9. सहायक लेखाधिकारी 10. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

   जनपद स्तर- 1. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
2. व्यायाम प्रशिक्षक
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य सहायक
4. वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक

2- विकास खण्ड स्तर- 1. क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी चम्पावत** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी चम्पावत** की लेखापरीक्षा में

पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह सितम्बर 2017 एवं अगस्त 2014 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन योजना अन्तर्गत किए गए व्यय के आधार पर किया गया है।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- विभागीय शिथिलता के फलस्वरूप रू. 35.00 लाख का अवरोधन।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 471/VI-2/2016-52(08)15 दिनांक 26 अगस्त 2016 के माध्यम से गोरेलचौड़ विकास खण्ड चम्पावत में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि रू. 85.58 लाख के सापेक्ष माह अगस्त 2016 में प्रथम किश्त के रूप में रू. 35.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसे कार्यदायी संस्था उ. प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., पिथौरागढ़ इकाई, गौरलचौड़, चम्पावत को उपलब्ध करा दिया गया। जिससे जनपद में गौरलचौड़ मैदान का उच्चीकरण करते हुए फुटबाल स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जाना था।

निर्माण संबंधी लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि न ही जनपद द्वारा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया और न ही उक्त धनराशि निर्माण एजेंसी को जनपद स्तर पर प्रदान किया गया। उक्त कार्य हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं की गई। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित मानचित्र को अनुमोदन हेतु इकाई को भेजा गया, जो कि अनुमोदित नहीं है। युवा कल्याण विभाग की धनराशि से बनने वाले स्टेडियम की भूमि खेल विभाग एवं सैनिक कल्याण विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बतलाया कि प्रकरण निदेशालय स्तर से निर्देशित है। एवं कार्यालय को इस संबंध में समुचित जानकारी नहीं है। अवमुक्त धनराशि एवं उस पर अर्जित ब्याज की भी कार्यालय को कोई जानकारी नहीं है।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि भूमि विभाग की नहीं है एवं भूमि के अभाव में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। एवं रू. 35.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था के पास विगत 01 वर्ष से अवरूद्ध है।

अतः विभागीय शिथिलता के फलस्वरूप रू. 35.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- विभागीय बैंक खाते में आदेशों के विरूद्ध विभिन्न योजनाओं के रू. 23.54 लाख की धनराशि अवरूद्ध रखना।

उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-6 के शासनादेश सं. 126(1)XXVII(6) टी.सी.ए. 934-2014 दिनांक 21.04.2017 के अनुसार सभी विभागों को अर्जित ब्याज को राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा किया जाना चाहिए। इसी क्रम में निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तराखण्ड के पत्र सं. 1602/पायका-लेखा/2014-17 दिनांक 10.03.2015, प त्र सं. 194, 856 एवं 985/पायका-लेखा/2015-16 के द्वारा निदेशालय ने खातों में योजनाओं युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तराखण्ड, देहरादून के खाते में जमा करने एवं खातों को बन्द करने के निर्देश दिये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में पाया गया कि इकाई के बैंक खाता सं. 598302010000379, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विभिन्न मदों की धनराशि एवं अर्जित ब्याज की धनराशि रू. 23.54 लाख अवशेष है।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त धनराशियों के बारे में व्यय न किये जाने संबंधी प्रश्न के उत्तर में इकाई ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। तथा धनराशि को निदेशक, युवा कल्याण के खाते में जमा करने का आश्वासन दिया।

अतः विभागीय बैंक खातें में विभिन्न योजनाओं के रू. 23.54 लाख धनराशि अवरूद्ध रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
14/2013-14	दिनांक 19.09.2013 द्वारा उक्त प्रस्तरों को यथावत रखा गया है। पुनः परिपालन आख्या महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की जायेगी।	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------अप्रस्तुत---------- अनुपालन आख्या सीधे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित की जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी चम्पावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.स.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री डी.सी. पाण्डेय	जिला यु.प्रा.र.दल अधिकारी	01.06.2013 से 26.08.2014
2.	श्री दीवान राम	जिला यु.प्रा.र.दल अधिकारी	27.08.2014 से 31.10.2015
3.	श्री एच.सी. जोशी	जिला यु.प्रा.र.दल अधिकारी	01.11.2015 से 19.09.2017
4.	श्री एन.एस. बिष्ट	जिला यु.प्रा.र.दल अधिकारी	20.09.2017 से 19.10.2017
5.	श्री एच.सी. जोशी	जिला यु.प्रा.र.दल अधिकारी	20.10.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र